District Heat Wave Action Plan 2025

Pratapgarh District
Rajasthan

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, प्रतापगढ़

क्रमांक : आ.प्र.सहा. / लू–ताप / 2025 / 80-130 दिनांक : 9 / 4 / 2025

<u>हीट वेव 2025 के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश एवं जिला स्तरीय कार्ययोजना</u>

जिले में बढ़ती गर्मी एवं संभावित हीट वेव की स्थिति में प्रभावी शमन और प्रबन्धन के लिए, लू–ताप से बचाव एवं आमजन को राहत हेतु निम्नानुसार विभिन्न विस्तृत दिशा निर्देश / एडवायजरी / एक्शन प्लान जारी किए गए है –

1. आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ 14(01)आ.प्र. एवं सहा. / लू–ताप / 2025 / RAJKAJ 14444933 दिनांक 28.03.2025 द्वारा जारी एडवायजरी / IEC। (प्रति संलग्न)
2. भारत सरकार द्वारा जारी हीट वेव एक्शन प्लान तैयार करने संबंधी दिशा–निर्देश।

सभी संबंधित अधिकारीगण को निर्देश प्रदान किए जाते है कि उक्तानुसार जारी दिशा निर्देश / एडवायजरी / एक्शन प्लान का गहनता से अध्ययन–मनन कर आपके विभाग / कार्यालय स्तर से अपेक्षित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त दिशानिर्देशों के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

1. **<u>उपखण्ड / तहसील कार्यालय :–</u>**
   - सम्मेलन / जनसभा / कार्यक्रम, जिनमें अधिक संख्या में जनसमूह इकट्ठा हो, में हीट वेव एडवायजरी अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें एवं संबंधित आयोजनकर्ता को अपेक्षित व्यवस्थाओं हेतु निर्देशित करें।
   - क्षेत्र के पर्यटन / धार्मिक स्थलों पर हीटवेव से बचाव / प्रबंधन हेतु कार्यवाहीं सुनिश्चित करावें।

2. **<u>सूचना एवं जन सम्पर्क विभागः–</u>**
   - जिले में हीटवेव के समय सम्बन्धित चेतावनी एवं जानकारी **(https://sachet.ndma.gov.in) (Sachet Mobile App) (IMD Forecast)** का समाचार पत्रों / सोशल मीडिया / टीवी के माध्यम से आमजन, स्कूल एवं कॉलेज में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे।
   - उपरोक्त एडवायजरी / do's and don'ts का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जावें।

3. **<u>चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग :–</u>**
   - मेडिकल किट, जीवन रक्षक दवाईयां, ओआरएस, आईस पैक, एम्बुलेंस आदि की चिकित्सा केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
   - आपात स्थिति में बचाव हेतु विशिष्ट एसी वार्ड / रूम आदि चिन्हित किए जावें।
   - क्षेत्र में संभावित Mass Gathring की स्थिति पर संबंधित चिकित्सा संस्थान / केन्द्र अलर्ट रहें।
   - अपने अधीनस्थ सभी हेल्थ वर्कर्स / अधिकारी / कर्मचारीगण को सेंसेटाईज कर अपेक्षित कार्यवाही हेतु निर्देशित / प्रशिक्षित करें।
   - समय–समय पर जारी किए जाने वाली IMD / सचेत चेतावनियों को तत्काल संज्ञान में ले एवं बचाव / प्रबन्ध हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
   - यदि कोई कोई अप्रिय घटना होती है तो वस्तु स्थिति की जानकारी जिला आपदा नियंत्रण कक्ष में भिजवाने की सुनिश्चितता की जावे।

4. **<u>पंचायती राज / नगर निकाय कार्यालयः–</u>**
   - मनरेगा / निर्माण वर्कर्स हेतु विभागीय निर्देशों / [illegible] हीटवेव से बचाव हेतु शेल्टर्स / पेयजल / समय प्रबंधन किया जाना सुनिश्चित करें।
   - पार्क / पर्यटन क्षेत्रों आदि पर, यदि अपेक्षित हो तो, [illegible] सुनिश्चित करें।
   - सड़क पर आवारा पशुओं / गायों को का[illegible] व्य[illegible] सुनिश्चित की जावे।
   - <u>उपलब्ध अग्निशमन वाहनों / यंत्रों को आ[illegible] स्थिति के लिए तैयार रखें</u>

Signature valid
Digitally signed by Anjali Rajoria
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.04.09 16:30:42 IST
Reason: Approved

Ref No.: 14707423

5. <u>रीको / श्रम विभाग / उद्योग विभाग</u>:–

- निर्माण / उद्योग / वाणिज्यिक संस्थानों / प्रतिष्ठानो को हीट वेव से बचाव / प्रबन्धन हेतु प्रशिक्षित / निर्देशित करें तथा विभागीय निर्देशों / एडवायजरी अनुसार हीटवेव से बचाव हेतु शेल्टर्स / पेयजल / समय आदि प्रबंधन हेतु निर्देशित करें।
- असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स के संबंध में भी एडवायजरी अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

6. <u>कृषि / पशुपालन विभाग / कृषि उपज मण्डियां</u>:–

- हीट वेव के समय पशुओ के बचाव हेतु समस्त पशु चिकित्सा केन्द्रों / गौशालाओ के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे तथा पशुपालकों को भी जागरूक करें।
- फसलों / उपज में नुकसान से बचाव हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं जागरूकता सुनिश्चित करें।
- पशुओ को सुरक्षित रखने हेतु तथा प्रभावित क्षेत्रो में चारा, पशु आहार व मृत पशुओं के सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

7. <u>महाविद्यालय / जिला शिक्षा अधिकारी</u>:–

- विद्यालयों में एडवायजरी अनुसार विद्यार्थियों के हीट वेव / गर्मी से बचाव हेतु पेयजल / छाया आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।
- विद्यार्थियों का आउटडोर गतिविधियां न करवाई जावें।

8. <u>जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग</u>:–

- **<u>शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार करें।</u>**
- पाईपलाईन की लीकेज शीघ्रता से ठीक करने की व्यवस्था करें।
- विभागीय मेन्टेनेंस कार्यों का समय आमजन में प्रचार प्रसार किया जावें तथा मेन्टेनेंस न्यूनतम समय में पूर्ण किया जावें।

9. <u>अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0</u> :–

- चिकित्सालयों / केन्द्रों में बिजली की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित की जावें।
- विभागीय मेन्टेनेंस कार्यों का समय आमजन में प्रचार प्रसार किया जावें तथा मेन्टेनेंस न्यूनतम समय में पूर्ण किया जावें।

सभी अधिकारीगण मौसम विभाग / सचेत द्वारा समय–समय पर जारी की जाने वाली चेतावनियों / फॉरकास्ट से अवगत रहे एवं अधीनस्थों / संबंधित को इस हेतु सेंसेटाइज रखें। सभी विभाग आपदा प्रबन्धन के लिए अपेक्षित पूर्व तैयारी करें तथा अन्तर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(डां. अंजलि राजोरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

भीलवाड प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थः

01. संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
02. सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर।
03. जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
04. अति. जिला कलक्टर प्रतापगढ़।
05. उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी (वन विभाग) प्रतापगढ़।
06. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, प्रतापगढ़।
07. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन / अ.वि.वि.नि.लि. / सा.नि.वि. / जन स्वा.अभि. विभाग प्रतापगढ़।
08. प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग, कार्यालय हाजा।

Signature valid
Digitally signed by Anjali Rajoria
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.04.09 16:30:42 IST
Reason: Approved

Ref No.: 14707423

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, प्रतापगढ

कमांक /सामान्य/शिक्षा/2025/ 30 दिनांक 21 अप्रैल, 2025

–:: आदेश ::–

कार्यालय शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के राजकाज पत्र क्रमांक–प.12 (02) शिक्षा–5/2025–22961 दिनांक 09.04.2025 के अनुसार जारी दिशा–निर्देशों की अनुपालना एवं जिले में भीषण गर्मी के मध्यनजर, अभिभावकों की मांग के अनुसार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ द्वारा समय परिर्वतन किये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव अनुसार **प्रतापगढ जिले में संचालित समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों की पूर्व प्राथनिक कक्षाओं से कक्षा 8 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को भीषण गर्मी (हीट वेव) के प्रभाव से बचाने हेतु दिनांक 22.04.2025 से सत्रान्त तक वर्तमान विद्यालय समय को परिवर्तित कर प्रातः 07.30 बजे से 11.00 बजे तक किया जाता है।**

यह समय परिवर्तन केवल पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से कक्षा 8 तक के छात्र–छात्राओं हेतु लागू रहेगा। **विद्यालय स्टाफ एवं कक्षा 9 से 12 तक के समस्त छात्र–छात्राओं का समय शिविरा पंचाग के अनुसार यथावत् रहेगा।** इस आदेश की समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई संस्था प्रधान उक्त आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(डॉ. अंजलि राजोरिया)
जिला कलक्टर एवं
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रतापगढ

कमांक /सामान्य/शिक्षा/2025/ 30 दिनांक 21 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निदेशक, माध्यनिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,समग्र शिक्षा प्रतापगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि जिले में संचालित समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
3. जिला शिक्षा अधिकारी मु. मा.शि./प्रा.शि. प्रतापगढ।
4. समत्त उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, जिला प्रतापगढ।
5. समस्त मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रतापगढ।
6. जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, प्रतापगढ़।
7. समस्त संस्थाप्रधान राजकीय एवं निजी विद्यालय जिला प्रतापगढ।
8. .रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjali Rajoria
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.04.21 18:44:55 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः–प.12(02)शिक्षा–5/2025–22961 दिनांक : यथाहस्ताक्षर

समस्त
जिला कलक्टर्स,
राजस्थान।

विषयः– भीषण गर्मी लू–तापघात प्रभाव को देखते हुये बचाव तथा तैयारियों/अग्रिम व्यवस्थाओं बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आगामी दिनों में भीषण गर्मी, हीट वेव एवं लू को लेकर मौसम विभाग ने आशंका जताई है एवं इस पर भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार ने तत्काल प्रभाव से संवेदनशीलता बरतते हुए कार्यवाही किये जाने एवं इससे बचाव हेतु पुख्ता इंतजाम किये जाने के निर्देश जारी किये हैं। इस हेतु आपसे निम्न अपेक्षा की जाती है :–

1. सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त हवा हेतु पंखो एवं छाया(shade) आदि की व्यवस्था सुनिश्वित की जावें।

2 सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए शुद्ध एवं शीतल पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित हो।

3. जिन विद्यालयों में कक्षा कक्ष कम हैं/क्षतिग्रस्त या खुले में हैं/ निर्माणाधीन हैं, ऐसे स्कूलों में विद्यार्थियों को भीषण गर्मी में नहीं बिठाया जाने एवं वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टेंण्ट छाया की व्यवस्था सुनिशचित की जाये।

4. सभी स्कूलों में भीषण गर्मी, हीट वेव लू से बचने के लिए एवं उल्टी, अपचन, जी घबराहट ज्वर से बचने के लिए चिकित्सकों की सलाह से विद्यार्थियों की उम्र अनुसार आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार किट (First Aid kit) में पर्याप्त आवश्यक दवाए एवं ORS Kit रखना सुनिश्चित करे।

5. कोई भी खेल प्रशिक्षण या ड्रिल, पी.टी, आउटडोर गतिविधियां अथवा कैम्प भीषण गर्मी के दौरान खुले में नहीं करवाया जावे।

6. परिवहन के ऐसे साधन जो खुले हो एवं सीधे धूप के सम्पर्क में हो ऐसे [illegible] से बच्चों का स्कूलों से परिवहन नहीं करवाया जावे। वाहन [illegible] को अपने वाहनों में प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार किट [illegible] हेतु निर्देशित किया जावे।

7. राजस्थान में विद्यालयों में वाटर बैल बजाई जावे, जिससे कि कम से कम छोटे–छोटे ब्रेक्स पेयजल एवं बाथरूम के लिए सुनिश्चित हो सके और इस दौरान

Signature valid
Digitally signed by V[illegible] Mohan Sharma
Designation: Special Secretary To Government
Date: 2025.04.09 [illegible]:04:29 IST
Reason: Approved

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रार/शैक्षिक/ए/3563/विविध/2020-21/00937/ दिनांक : यथाहस्ताक्षर

संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा,
समस्त।

विषयः भीषण गर्मी, लू-तापघात प्रभाव को देखते हुए बचाव तथा तैयारियों/अग्रिम व्यवस्थाओं बाबत।

प्रसंगः विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान का पत्रांक प. 12(02)शिक्षा/2025-22961 जयपुर दिनांक 09.04.2025 एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 25.04.2024 (राजकाज रेफरेंस नं. 6764351)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन के प्रासंगिक पत्र के द्वारा आगामी दिनों में भीषण गर्मी, हीट वेव एवं लू को लेकर मौसम विभाग ने आशंका जताई है एवं इस पर भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार ने तत्काल प्रभाव से संवेदनशीलता बरतते हुए कार्यवाही किए जाने एवं इससे बचाव हेतु पुख्ता इंतजाम किये जाने के निर्देश जारी किए है।

अतः प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से निदेशालय को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

साथ ही संलग्न प्रारूप में प्रत्येक शुक्रवार को सायं 3.00 बजे तक एकजाई सूचना आपके कार्यालय से जरिए ई-मेल इस अनुभाग को भिजवाई जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः यथोक्त।

(सीताराम जाट)
I.A.S.
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती
राज (प्रा.शि.) विभाग,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अधीनस्थ विद्यालयों को पालनार्थ प्रेषित करें।

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.04.09 1?:14:39 IST
Reason: Approved

निदेशक

राजस्थान सरकार

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, प्रतापगढ़

Website-www.dipr.rajasthan.gov.in DIPR.PRATAPGARH@rajasthan.gov.in E-mail-news.ptg@gmail.com

क्रमांक : जिसूजसका/प्रताप./2025/ दिनांक :–22 अप्रैल 2025

श्रीमान जिला कलक्टर महोदया,
प्रतापगढ़

विषय :–हीटवेव/लू को लेकर कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना भिजवाने बाबत्।

संदर्भ :–आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, दिनांक 09.04.2025 पत्रांक :आप्र. एवं सहा./लू–ताप/2025/80–130

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ एवं विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके द्वारा हीट वेव से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी। उक्त सूचना संलग्न कर श्रीमान् को सादर प्रेषित है।

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
प्रतापगढ़

Signature valid

Digitally signed by Navdha Pardeshi
Designation: Assistant Public Relation Officer
Date: 2025.04.22 14:27:44 IST
Reason: Approved

विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार

पत्रिका

जिले के आमजन कर सकेंगे शिकायत

पेयजल को लेकर कन्ट्रोल रूम स्थापित

प्रतापगढ़ @ पत्रिका. ग्रीष्म-2025 को ध्यान में रखते हुए जिले की विभिन्न पेयजल योजनाओं तथा अन्य स्रोतों से उत्पन्न होने वाली पेयजल समस्याओं के सन्दर्भ में जनता से प्राप्त होने वाली समस्याएं, प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाली समस्याओं का समय पर निराकरण करने के लिए जिला स्तर एवं उपखंड स्तर पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग खण्ड प्रतापगढ़ के अधिशाषी अभियन्ता पुष्पेन्द्र कुमार ने बताया कि जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम के प्रभारी सहायक अभियंता एवं तकनीकी सहायक चेतन चरपोटा के मोबाइल नंबर 7976069476 होंगे। इसी तरह से प्रतापगढ़ के सह प्रभारी कनिष्ठ अभियंता हर्षिल भट्ट 01478-222162, 7976776894, उपखंड प्रतापगढ़ के सहायक अभियंता भैरूलाल मीणा 01478-222040, 9660853336, अरनोद सहायक अभियंता राजेश पाटीदार 01479-242266, 7665891136, छोटीसादड़ी के सहायक अभियंता कौशल कलाल 9694122632, पीपलखूंट सहायक अभियंता तोलसिंह गरासिया 8696826806 कन्ट्रोल रूम पर नियुक्त किए गए हैं।

08/04/2025 | Partapgarh | Page : 1
Source : https://epaper.patrika.com/

दैनिक नवज्योति

chittorgarh-pratapgarh - 08 Apr 2025 - Page 5

'गर्मी के मौसम में तापमान में बढ़ोतरी संभव है, इसे गंभीरता से लें'

रखें सावधानी, लू एवं तापघात से न हो परेशानी

[illegible]

ऐसे है लू के लक्षण और बचने के उपाय

[illegible]

क्यों करें अर्जी, लू लगने पर प्राथमिक उपचार की जानकारी है जरूरी

[illegible]

पत्रिका

कलक्टर ने जारी किए स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक निर्देश: हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से रहें सावधान, फॉलो करें स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन

गर्म हवाओं से बढ़ी चिंता, लू से बचाव को लेकर प्रशासन ने कसी कमर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

प्रतापगढ़. जिला कलक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया ने आमजन को लू और तापघात के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि ग्रीष्म लहर से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से सामान्यतः [illegible] गर्मी से होने वाली [illegible] थकावट और लू लगना [illegible] है। सीएमएचओ ने बताया कि लक्षण दिखने पर [illegible] सावधानी बरतें। लू लगने पर ओआरएस घोल पीएं और शिशु को ओआरएस घोल निर्धारित अनुपात में पिलाएं। दस्त नियंत्रण के लिए जिंक टैबलेट एवं ओआरएस पैकेट सभी राजकीय स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर निःशुल्क उपलब्ध हैं।

गर्मी लगने पर हरकतों को पहचानना है जरूरी

सीएमएचओ ने बताया कि यदि बच्चे की शारीरिक गतिविधियां दैनिक से असामान्य हों यानी बच्चा सुस्त हो रहा हो। बच्चे में चिड़चिड़ापन हो, त्वचा सामान्य से अधिक रुखी सूखी हो रही हो, बच्चा स्तनपान, दूध पीने से मना करे। पेशाब नहीं या कम मात्रा में कर रहा हो। ऐसे कोई भी लक्षण प्रतीत हों तो शिशु के लिए उच्चतर सावधानी की जरूरत होती है। ऐसे में उचित देखभाल करें और नजदीकी चिकित्सक से जांच कराएं। बच्चों में हाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की पूर्ति जरूरी है। गर्मियों में शरीर से पसीना निकलने की वजह से शरीर को तरल पदार्थों की जरूरत ज्यादा पड़ती है। इसके लिए शिशु को ढीले कपड़े पहनाएं, ताजा आहार खिलाएं, घमौरियों से बचाव करें और शिशु को छायादार स्थान पर रखें।

तापघात होने पर यह करें

सीएमएचओ ने बताया कि इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लें। धूप में न जाएं। ठंडी जगह ही रहें। बॉडी में गीला तौलिया लपेटें। ज्यादा से ज्यादा पानी, जूस, छाछ या लस्सी पीएं। लू के लक्षण दिखने पर बीमार व्यक्ति को गर्मी से दूर ठंडी जगह रखा जाए। उससे ढीले और हलके कपड़े पहनाए जाएं। त्वचा पर ठन्डे और गीले कपड़े का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही लगातार थोड़ा-थोड़ा ठंडा पानी पीते रहें। पीड़ित के पानी नहीं पीने। उल्टियां करने और बेहोश होने पर चिकित्सक की मदद लें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 104 या 108 पर कॉल करें।

लक्षण व बचने के उपाय

सीएमएचओ डॉ. जीतराज मीणा ने बताया कि लू-तापघात रोग के कई लक्षण हैं। इन लक्षण में सिरदर्द, बुखार, उल्टी, अत्यधिक पसीना एवं बेहोशी आना, कमजोरी महसूस होना, शरीर में ऐंठन, नब्ज असामान्य होना है। अधिक गर्मी से गर्मी से होने वाली ऐंठन हीट भी होते हैं। जिसमें कम ताप के हल्के बुखार के साथ सूजन और बेहोशी, गर्मी से होने वाली थकान हीट एग्जॉस्शन, जिसमें थकान, कमजोरी, चक्कर, सिरदर्द, मितली, उल्टियां, मांसपेशियों में खिंचाव और पसीना आना से लोग प्रभावित हो सकते हैं। लू लगना या हीट स्ट्रोक, यह एक संभावित प्राणघातक स्थिति है। इससे बचने के लिए घर से बाहर निकलने के पहले पानी अवश्य पिएं। सूती ढीले एवं आरामदायक कपड़े पहनें, धूप में निकलते समय सिर पर टोपी, कपड़ा या छाते का उपयोग करें। छाछ, ओआरएस का घोल या घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, नींबू पानी, कैरी का छाछ आदि का सेवन करें। इसके साथ ही सलाह दी गई कि बाहर जाने पर भरपेट ताजा भोजन करके ही घर से निकलें। उन्होंने बताया कि गर्मी में तरल पदार्थ ज्यादा लेते रहें। जैसे की नींबू पानी, नारियल पानी, नमक का पानी। जिससे व्यक्ति शरीर में पानी की कमी ना हो और डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो।

रामनवमी पर धर्म, संस्कृति की दिखी अनूठी छटा: विहिप और बजरंग दल के बैनर तले मनाया पर्व

08/04/2025 | Partapgarh | Page : 4
Source : https://epaper.patrika.com/

दैनिक नवज्योति
Chittorgarh-pratapgarh - 08 Apr 202

पेयजल समस्याओं को लेकर कंट्रोल रूम स्थापित

[illegible]

पत्रिका

कक्षा 8 तक विद्यालय का समय बदला

प्रतापगढ़ @ पत्रिका. जिला कलक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रतापगढ़ ने आदेश जारी कर जिले में संचालित सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों की पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से कक्षा 8 तक अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को भीषण गर्मी (हीट वेव) के प्रभाव से बचाने के लिए 22 अप्रेल से विद्यालय समय को परिवर्तित कर प्रातः 07.30 बजे से 11.00 बजे तक किया है। उन्होंने बताया कि यह समय परिवर्तन केवल पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से कक्षा 8 तक के छात्र-छात्राओं के लिए लागू रहेगा। विद्यालय स्टाफ एवं कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्र-छात्राओं का समय शिविरा पंचांग के अनुसार यथावत् रहेगा। उन्होंने आदेश की सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने को कहा है। आदेशानुसार यदि कोई संस्था प्रधान उक्त आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

22/04/2025 | Partapgarh |
Page : 1
Source :
https://epaper.patrika.com/

दैनिक नवज्योति
Chittorgarh-pratapgarh - 2

तेज गर्मी को देख विद्यालय के समय में बदलाव

कक्षा आठवीं तक के बच्चों के विद्यालय का समय प्रात: साढ़े सात से 11 बजे तक रहेगा

प्रतापगढ़। जिला कलक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रतापगढ़ ने आदेश जारी कर जिले में संचालित समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों की पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से कक्षा 8 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को हीट वेव के प्रभाव से बचाने हेतु तत्काल प्रभाव से वर्तमान विद्यालय समय को परिवर्तित कर प्रात: 07.30 बजे से 11.00 बजे तक किया है। उन्होंने बताया कि यह समय परिवर्तन केवल पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से कक्षा 8 तक के छात्र-छात्राओं हेतु लागू रहेगा। विद्यालय स्टाफ एवं कक्षा 9 से 12 तक के समस्त छात्र-छात्राओं का समय शिविरा पंचांग के अनुसार यथावत रहेगा। उन्होंने आदेश की समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने को कहा है। आदेशानुसार यदि कोई संस्था प्रधान उक्त आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

गर्मी एवं लू प्रकोप से पशुधन के बचाव हेतु एडवाइजरी

उदय कॉन्टल न्यूज़

प्रतापगढ़, 9 अप्रैल। वर्तमान में लगातार बढ़ते हुए तापमान से जिले में गर्म हवाएं (लू) की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिससे पशुधन विशेषकर [illegible] के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग प्रतापगढ़ डॉ. [illegible] मावले ने बताया कि अधिक तापमान के कारण पशुओं में तेज बुखार, हांफना, मुंह से लार गिरना, बेचैनी की स्थिति, भूख में कमी, अधिक पानी पीना, पेशाब कम अथवा बंद हो जाना और दुग्ध उत्पादन में गिरावट जैसी स्थितियों की सम्भावना बन जाती है। इन दुष्प्रभावों से पशुओं की रक्षा के लिए समय रहते उचित प्रबंध किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

इसके लिए डॉ. मावले ने पशुपालकों से अनुरोध किया है कि वे अपने पशुओं को सूर्य की सीधी किरणों से दूर रखें, लू से बचाव के लिए हवादार छप्पर या छायादार वृक्ष के नीचे रखें। पशुओं को रखने की जगह पर थोड़ी-थोड़ी देर में पानी का छिड़काव करें। पशुओं को दिन में कम से कम चार बार स्वच्छ और ठंडा पानी पिलाएं। गर्मी के कारण पशुओं का पाचन कमजोर हो जाता है, ऐसे में उन्हें संतुलित, हल्का और सुपाच्य (हरा चारा, खनिज मिश्रण इत्यादि) आहार देना चाहिए। पशुधन को चराई के लिए प्रातः जल्दी और सायं को देर से भेजना चाहिए, विशेष रूप से दोपहर 12:00 से सायं 04:00 बजे के बीच चराई पर ले जाने से बचावें।

डॉ. मावले ने यह भी बताया है कि किसी भी आपात स्थिति में या लू प्रकोप से प्रभावित लक्षणों की स्थिति में पशुपालक नजदीकी पशुचिकित्सा कार्यालय से सम्पर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

दैनिक नवज्योति chittorgarh-pratapgarh - 10 Apr 2025 - Page 6

ग्रीष्म ऋतु एवं लू प्रकोप से पशुधन के बचाव के लिए एडवाइजरी जारी

नवज्योति ब्यूरो प्रतापगढ़। वर्तमान में निरन्तर बढ़ते हुए तापमान से जिले में गर्म हवाएं (लू) की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिससे पशुधन विशेषकर गोवंश के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। ऐसे में संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग प्रतापगढ़ डॉ श्रीनिवास सांवले ने बताया की अधिक तापमान के कारण पशुओं में तीव्र ज्वर की स्थिति, हांफना, मुंह से लार गिरना, बैचेनी की स्थिति, भूख में कमी, अधिक पानी पीना, पेशाब कम अथवा बन्द हो जाना और दुग्ध उत्पादन में गिरावट जैसी स्थितियों की सम्भावना बन जाती है। इन दुष्प्रभावों से पशुओं की रक्षा के लिए समय रहते उचित प्रबन्ध किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए डॉ सांवले ने पशुपालकों से अनुरोध किया है कि वे अपने पशुओं को सूर्य की सीधी किरणों से दूर रखें, लू से बचाव के लिए हवादार छप्पर या छायादार वृक्ष के नीचे रखें। पशुओं को रखने की जगह पर थोड़ी-थोड़ी देर में पानी का छिड़काव करें। पशुओं को दिन में कम से कम चार बार स्वच्छ और ठंडा पानी पिलाएं। गर्मी के कारण पशुओं का पाचन कमजोर हो जाता है, ऐसे में उन्हें संतुलित, हल्का और सुपाच्य (हरा चारा, खनिज मिश्रण इत्यादि) आहार देना चाहिए। पशुधन को चराई के लिए प्रातः जल्दी और सायः को देर से भेजना चाहिए, विशेष रूप से दोपहर 12:00 से सायं 04:00 बजे के बीच चराई पर ले जाने से बचाएं। डॉ सांवले ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति में या लू प्रकोप से प्रभावित लक्षणों की स्थिति में पशुपालक नजदीकी पशुचिकित्सा कार्यालय से सम्पर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

पत्रिका

पशुपालकों को सावधानी बरतनें की सलाह

गर्मी व लू से आमजन व पशुधन के बचाव के लिए एडवाइजरी जारी

प्रतापगढ़ @ पत्रिका. वर्तमान में निरन्तर बढ़ते हुए तापमान से जिले में लू चलने की स्थिति उत्पन्न हो रही हैं। जिससे पशुधन विशेषकर गौवंश के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने की सम्भावना हैं। ऐसे में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. श्रीनिवास सांवले ने बताया कि अधिक तापमान के कारण पशुओं में तीव्र ज्वर की स्थिति, हांफना, मुंह से लार गिरना, बैचेनी की स्थिति, भूख में कमी, अधिक पानी पीना, पेशाब कम अथवा बन्द हो जाना और दुग्ध उत्पादन में गिरावट जैसी स्थितियों की सम्भावना बन जाती हैं। समय रहते उचित प्रबन्ध किया जाना अत्यंत आवश्यक हैं। पशुओं को सूर्य की सीधी किरणों से दूर रखें, लू से बचाव के लिए हवादार छप्पर या छायादार वृक्ष के नीचे रखें। पशुओं को रखने की जगह पर थोडी-थोडी देर में पानी का छिडकाव करें। दिन में कम से कम चार बार स्वच्छ और ठंडा पानी पिलाएं।

मवेशी के लिए

- पशुओं को छाया में रखें और उन्हे पीने के लिए पर्याप्त, स्वच्छ और ठंडा पानी दे।
- उनसे सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच काम न लें।
- शेड की छत को पुआल से ढक दे, तापमान कम करने के लिए इसे सफेद रंग / चूने से रंग दे या गोबर से लीप दें।
- शेड में पंखे, वाटर स्प्रे और फॉगर्स का प्रयोग करे।
- अत्यधिक गर्मी के दौरान, पानी का छिडकाव करे और मवेशियों को ठंडा करने के लिए एक जल निकाय पर ले जाए।

उन्हें हरी घास, प्रोटीन वसा बाईपास पूरक, खनिज मिश्रण और नमक दें। कम गर्मी वाले घंटों के दौरान उन्हें चरने दें।

10/04/2025 | Partapgarh | Page : 4
Source : https://epaper.patrika.com/

<u>**सोशल मीडिया द्वारा प्रचार-प्रसार**</u>

<u>**विभिन्न ग्रुप्स (सुजस ग्रुप्स) पर साझा की गई पोस्ट**</u>

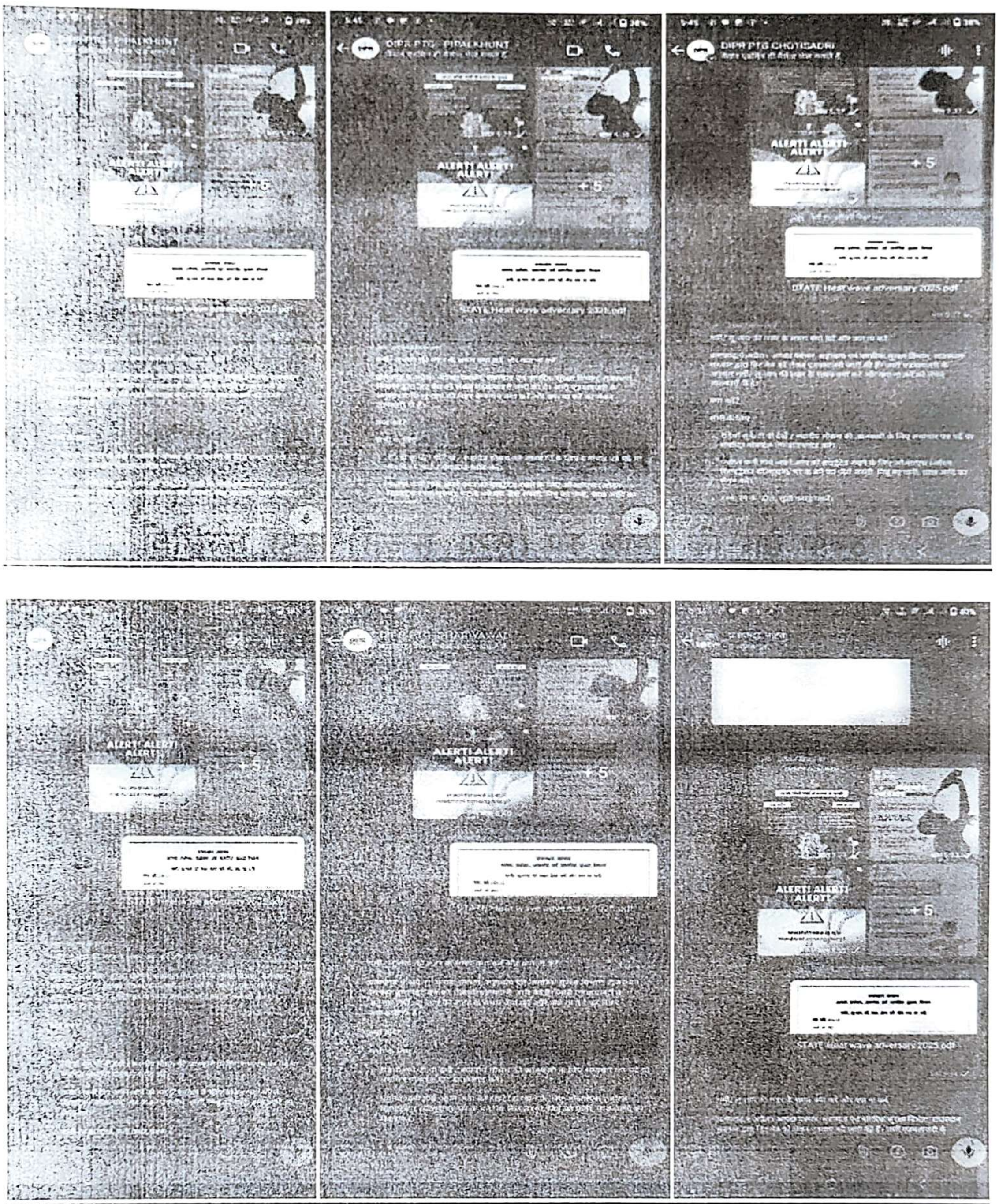

श्रीमान जिला कलक्टर के आधिकारिक सोशल मीडिया एकाउंट्स से साझा की गई जानकारी

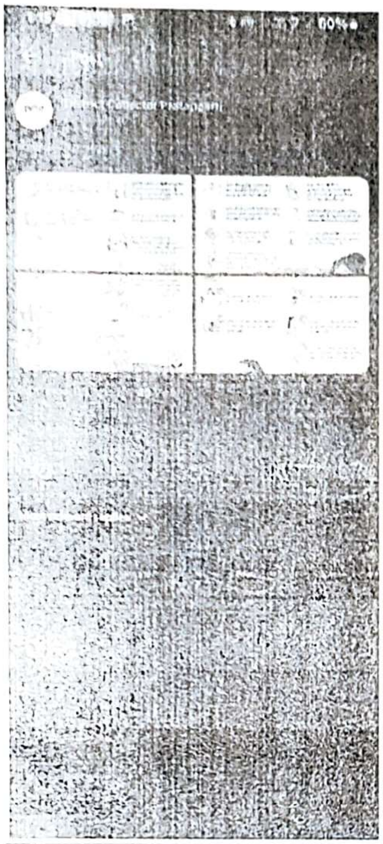

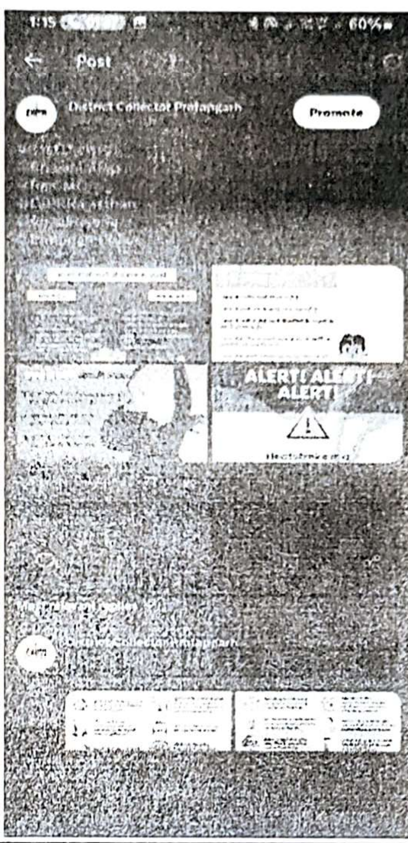

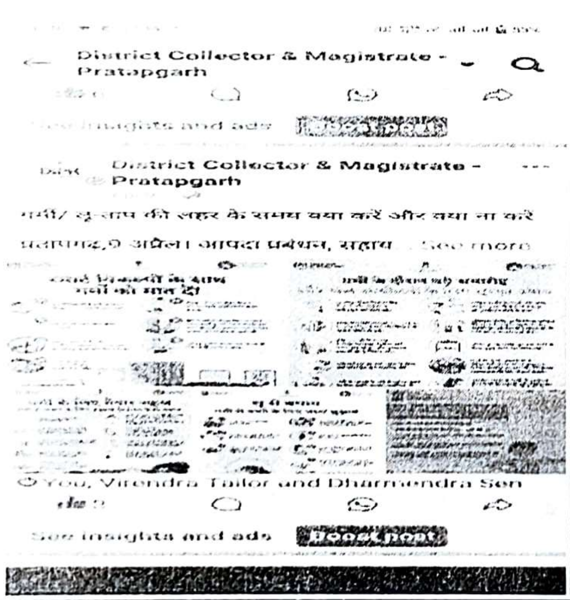

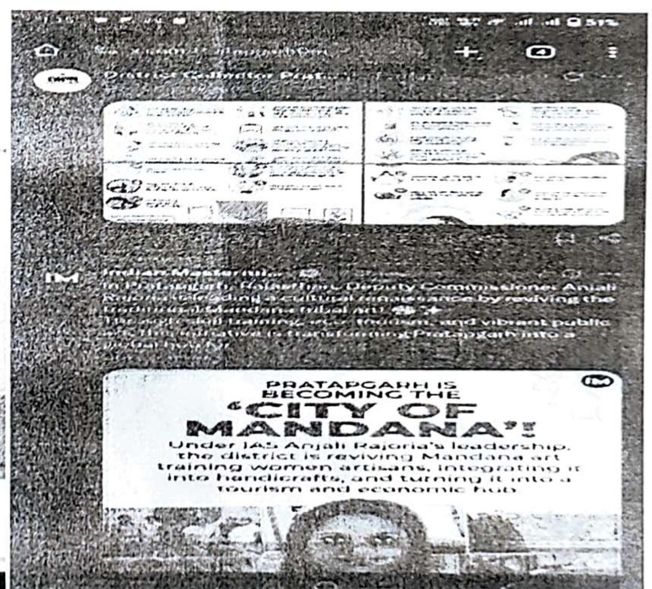

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, प्रतापगढ़

क्रमांक : आ.प्र.सहा. / लू–ताप / 2025 / 80-130 दिनांक : 9 / 4 / 2025

हीट वेव 2025 के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश एवं जिला स्तरीय कार्ययोजना

जिले में बढ़ती गर्मी एवं संभावित हीट वेव की स्थिति में प्रभावी शमन और प्रबन्धन के लिए, लू–ताप से बचाव एवं आमजन को राहत हेतु निम्नानुसार विभिन्न विस्तृत दिशा निर्देश / एडवायजरी / एक्शन प्लान जारी किए गए है –

1. आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ 14(01)आ.प्र. एवं सहा. / लू–ताप / 2025 / RAJKAJ 14444933 दिनांक 28.03.2025 द्वारा जारी एडवायजरी / IEC। (प्रति संलग्न)
2. भारत सरकार द्वारा जारी हीट वेव एक्शन प्लान तैयार करने संबंधी दिशा–निर्देश।

सभी संबंधित अधिकारीगण को निर्देश प्रदान किएं जाते है कि उक्तानुसार जारी दिशा निर्देश / एडवायजरी / एक्शन प्लान का गहनता से अध्ययन–मनन कर आपके विभाग / कार्यालय स्तर से अपेक्षित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त दिशानिर्देशों के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

1. **उपखण्ड / तहसील कार्यालय :–**
   - सम्मेलन / जनसभा / कार्यक्रम, जिनमें अधिक संख्या में जनसमूह इकट्ठा हो, में हीट वेव एडवायजरी अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें एवं संबंधित आयोजनकर्ता को अपेक्षित व्यवस्थाओं हेतु निर्देशित करें।
   - क्षेत्र के पर्यटन / धार्मिक स्थलों पर हीटवेव से बचाव / प्रबंधन हेतु कार्यवाहीं सुनिश्चित करावें।

2. **सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग:–**
   - जिले में हीटवेव के समय सम्बन्धित चेतावनी एवं जानकारी **(https://sachet.ndma.gov.in) (Sachet Mobile App) (IMD Forecast)** का समाचार पत्रों / सोशल मीडिया / टीवी के माध्यम से आमजन, स्कूल एवं कॉलेज में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे।
   - उपरोक्त एडवायजरी / do's and don'ts का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जावें।

3. **चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग :–**
   - मेडिकल किट, जीवन रक्षक दवाईयां, ओआरएस, आईस पैक, एम्बुलेंस आदि की चिकित्सा केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
   - आपात स्थिति में बचाव हेतु विशिष्ट एसी वार्ड / रूम आदि चिन्हित किए जावें।
   - क्षेत्र में संभावित Mass Gathring की स्थिति पर संबंधित चिकित्सा संस्थान / केन्द्र अलर्ट रहें।
   - अपने अधीनस्थ सभी हेल्थ वर्कर्स / अधिकारी / कर्मचारीगण को सेंसेटाईज कर अपेक्षित कार्यवाही हेतु निर्देशित / प्रशिक्षित करें।
   - समय–समय पर जारी किए जाने वाली IMD / सचेत चेतावनियों को तत्काल संज्ञान में ले एवं बचाव / प्रबन्ध हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
   - यदि कोई कोई अप्रिय घटना होती है तो वस्तु स्थिति की जानकारी जिला आपदा नियंत्रण कक्ष में भिजवाने की सुनिश्चितता की जावे।

4. **पंचायती राज / नगर निकाय कार्यालय:–**
   - मनरेगा / निर्माण वर्कर्स हेतु विभागीय निर्देशों / ... बचाव हेतु शेल्टर्स / पेयजल / समय प्रबंधन किया जाना सुनिश्चित करें।
   - पार्क / पर्यटन क्षेत्रों आदि पर, यदि अपेक्षित हो तो, ... सुनिश्चित करें।
   - सड़क पर आवारा पशुओं / गायों को का... व्य... सुनिश्चित की जावे।
   - **उपलब्ध अग्निशमन वाहनों / यंत्रों को आ... स्थिति के लिए तैयार रखे...**

Signature valid
Digitally signed by Anjali Rajoria
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.04.09 16:30:42 IST
Reason: Approved

5. रीको / श्रम विभाग / उद्योग विभाग:-

- निर्माण / उद्योग / वाणिज्यिक संस्थानों / प्रतिष्ठानो को हीट वेव से बचाव / प्रबन्धन हेतु प्रशिक्षित / निर्देशित करें तथा विभागीय निर्देशों / एडवायजरी अनुसार हीटवेव से बचाव हेतु शेल्टर्स / पेयजल / समय आदि प्रबंधन हेतु निर्देशित करें।
- असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स के संबंध में भी एडवायजरी अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

6. कृषि / पशुपालन विभाग / कृषि उपज मण्डियां:-

- हीट वेव के समय पशुओ के बचाव हेतु समस्त पशु चिकित्सा केन्द्रों / गौशालाओ के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे तथा पशुपालकों को भी जागरूक करें।
- फसलों / उपज में नुकसान से बचाव हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं जागरूकता सुनिश्चित करें।
- पशुओं को सुरक्षित रखने हेतु तथा प्रभावित क्षेत्रो में चारा, पशु आहार व मृत पशुओं के सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

7. महाविद्यालय / जिला शिक्षा अधिकारी:-

- विद्यालयों में एडवायजरी अनुसार विद्यार्थियों के हीट वेव / गर्मी से बचाव हेतु पेयजल / छाया आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।
- विद्यार्थियों का आउटडोर गतिविधियां न करवाई जावें।

8. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग:-

- शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार करें।
- पाईपलाईन की लीकेज शीघ्रता से ठीक करने की व्यवस्था करें।
- विभागीय मेन्टेनेंस कार्यों का समय आमजन में प्रचार प्रसार किया जावें तथा मेन्टेनेंस न्यूनतम समय में पूर्ण किया जावें।

9. अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 :-

- चिकित्सालयों / केन्द्रों में बिजली की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित की जावें।
- विभागीय मेन्टेनेंस कार्यों का समय आमजन में प्रचार प्रसार किया जावें तथा मेन्टेनेंस न्यूनतम समय में पूर्ण किया जावें।

सभी अधिकारीगण मौसम विभाग / सचेत द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली चेतावनियों / फॉरकास्ट से अवगत रहे एवं अधीनस्थों / संबंधित को इस हेतु सेंसेटाइज रखें। सभी विभाग आपदा प्रबन्धन के लिए अपेक्षित पूर्व तैयारी करें तथा अन्तर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(डां. अंजलि राजोरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

भीलवाड प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थः

01. संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
02. सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर।
03. जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
04. अति. जिला कलक्टर प्रतापगढ़।
05. उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी (वन विभाग) प्रतापगढ़।
06. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, प्रतापगढ़।
07. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन / अ.वि.वि.नि.लि. / सा.नि.वि. / जन स्वा.अभि. विभाग प्रतापगढ़।
08. प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख अनुभाग, कार्यालय हाजा।

Signature valid
Digitally signed by Anjali Rajoria
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.04.09 16:30:42 IST
Reason: Approved

लू–तापघात की तैयारी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है जिसका दूरभाष नंबर 01478–222564 है कंट्रोल रूम में प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है।

जिले में कुल 9 रेपिड रेसपोन्स टीम का गठन कर दिया गया है, ताकि मौसमी बिमारियों की फैलने की आशंका होने पर तत्काल टीम को प्रभावित क्षेत्र में रोकथाम हेतु भिजवाया जा सके।

जिले में लू तापघात के रोगियों के उपचार हेतु समस्त चिकित्सा संस्थान तथा पीएचसी/ सीएचसी, एसडीएच, जिला अस्पताल में कुल 160 बेड आरक्षित किए गए हैं।

जिले में सभी चिकित्सा संस्थानों पर कुलर्स, पंखे, एजॉस्ट फैन, ए.सी. आदि सभी उपकरण क्रियाशील कर दिए गए हैं तथा रोगियों एवं आगंतुओं हेतु शीतल पेयजल की उपलब्धता की गई है।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के अध्यक्षता में दिनांक 27/03/2025 को जिले के समस्त चिकित्सा संस्थान प्रभारी को लू–तापघात के रोगियों को उपचारित करते समय रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है साथ ही सभी चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है।

वर्तमान में जिले में सभी चिकित्सा संस्थानों पर दवाइयां की उपलब्ध्ता सुनिश्चित कर दी गई है तथा पेयजल के नमूने लेने हेतु सभी स्टाफ को पाबन्द कर दिया गया है।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता मे जिले के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को भी लू–तापघात के लक्षण बचाव उपचार के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

डॉ जीवराज मीणा
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला प्रतापगढ़

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–प्रतापगढ

लू–तापघात हेतु कार्य योजना

जिला स्तर पर :

• कन्ट्रोल रूम की स्थापना	• नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई है। जिसका दूरभाष 01470–222564 है
• आरआरटी का गठन	• जिले मे 1 डीआरआरटी व 8 खण्ड स्तर एवं 08 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 40 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आरआरटी टीमों का गठन कर दिया गया है।
• आईडीएसपी सेल का सुदृढीकरण कार्यरत है।	• सामेकित रोग नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत सेल में उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मो. न. 6375674532 एपिडिमियोलॉजिस्ट मो. 9462347596 कार्यरत है।
• सर्वे दल का गठन	• सर्वे दलों का गठन कर दिया गया है।
• स्कूल कॉलेज, हॉस्टल, मॉल, कार्यालय, निर्माणाधीन क्षेत्र इत्यादी की सूचना का संकलन।	• संकलन कार्य जारी है।
• नर्सिंग कॉलेजों की सूचना का संकलन	• संकलन कर लिया गया है। जिले में 1 राजकिय नर्सिंग कॉलेज संचालित है।
• आउट रीच कैम्प व एमएमवी कैम्प यूनिट की कार्य योजना	• प्रतिमाह आउटरीच एवं एमएमवी के कैम्प अनुसार कार्य किया जाता है।
• उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान	• संकलन कार्य जारी है।
• स्थानीय स्वयं सेवक, एनजीओ, एनसीसी, स्काउट गाइड व अन्य की उपलब्धता	• जिले मे आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित कर कार्य किया जाता है।
• आवश्यक संसाधनों का मांगपत्र राज्य को प्रेषित करना। प्रेषित कर दिया गया है।	• मांग पत्र राज्य स्तर को आवश्यकतानुसार भिजवा दिया जाता है।
• पानी के नमूनो की नियमित रूप से जांच	• प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से नियमित प्रति सप्ताह पीने के पानी के नमूने जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग व जिला लेब मे नमूनो की जांच हो रही है।
• जिले के सभी संस्थान पर आवश्यक दवाईया, जांच किट व अन्य की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	• समस्त चिकित्सा अधिकारीयो को निर्देशित किया गया है।

• एएनएम व आशा अपने-अपने कार्यक्षेत्र मे प्रतिदिन फीवर सर्वे, ब्लड स्लाईड कलेक्शन, मलेरिया पोजीटिव रोगियो का पूर्ण उपचार एन्टी एडल्ट, एन्टी लार्वल, सोर्स रिडक्शन इत्यादि गतिविधिया सम्पादित की जायेगी।	• फीवर सर्वे, ब्लड स्लाईड कलेक्शन, मलेरिया पोजीटिव रोगियो का पूर्ण उपचार एन्टी एडल्ट, एन्टी लार्वल, सोर्स रिडक्शन इत्यादि गतिविधिया सम्पादित की जा रही है।
• सर्वे कार्य हेतु आवश्यक लाजिस्टीक की उपलब्धता	• सर्वे प्रपत्र, टीम फोर्स, पायरेथ्रियम, एम.एल.ओ. दवाए व अन्य आवश्यक लाजिस्टीक उपलब्ध है।
• जिला स्तरीय बैठक/खण्ड स्तर पर बैठक/सेक्टर स्तर बैठक	• सभी विभाग प्रभारियो की बैठक तथा विभाग की मासिक बैठक का आयोजन किया जाता है।
• प्रचार – प्रसार	• जिले मे आवश्यकतानुसार पेम्पलेट वितरण/रेडियो पर प्रसारण/जन सम्पर्क अधिकारी के माध्यम से समाचार पत्र मे जानकारी देना।

प्रचार प्रसार

1 लू तापघात हेतु पेम्पलेट एवं होर्डिंग्स का प्रिंटिंग करवाया जावेगा।

2 नगर परिषद् प्रतापगढ एवं नगर पालिका धरियावद/छोटीसादडी मे आमजन को लू से बचने हेतु अपील प्रसारित करवाई जा रही है।

3 चिकित्सा संस्थानो पर जिला चिकित्सालय मे 20 बेड्स, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 02 एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 1 बेड आरक्षित कर दिये गये है।

4 चिकित्सा संस्थानो के वार्डो में क्रियाशील कूलर एवं पंखो की माकूल व्यवस्था हेतु निर्देश प्रदान कर दिये गये है।

5 रोगियो को ठण्डे पीने के पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। वाटर कुलर अनिवार्यतः क्रियाशिल हो।

6 चिकित्सा संस्थानो पर अनिवार्यतः ओआरएस/ड्रिप सेट/जीएनएस/सीप्रो, मेट्रो डायसाइक्लोमीन, मेट्रोक्लोप्रामाईड, रेनिटिडीन, ओनडेंस्टोरोन, ओमप्रेजोल, आरएल, जीएनएस, डीडीडब्ल्यू, ओआरएस, आईवीस्टेण्ड, केथेटेड, प्रिकिंग निडिल, ग्लास स्लाईड एवं अन्य आवश्यक दवाओ की उपलब्धता सुनिश्चितता हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

7 सर्वे के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

8 लू-तापघात के सम्बन्ध मे जिलास्तर पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता मे बैठक किया जाना प्रस्तावित है।

—— sd ——
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
प्रतापगढ़

• एएनएम व आशा अपने-अपने कार्यक्षेत्र मे प्रतिदिन फीवर सर्वे, ब्लड स्लाईड कलेक्शन, मलेरिया पोजीटिव रोगियो का पूर्ण उपचार एन्टी एडल्ट, एन्टी लार्वल, सोर्स रिडक्शन इत्यादि गतिविधिया सम्पादित की जायेगी।	• फीवर सर्वे, ब्लड स्लाईड कलेक्शन, मलेरिया पोजीटिव रोगियो का पूर्ण उपचार एन्टी एडल्ट एन्टी लार्वल, सोर्स रिडक्शन इत्यादि गतिविधिया सम्पादित की जा रही है।
• सर्वे कार्य हेतु आवश्यक लाजिस्टीक की उपलब्धता	• सर्वे प्रपत्र, टीम फोर्स, पायरेथ्रिम, एम.एल.ओ. दवाए व अन्य आवश्यक लाजिस्टीक उपलब्ध है।
• जिला स्तरीय बैठक/खण्ड स्तर पर बैठक/सेक्टर स्तर बैठक	• सभी विभाग प्रभारियो की बैठक तथा विभाग की मासिक बैठक का आयोजन किया जाता है।
• प्रचार – प्रसार	• जिले मे आवश्यकतानुसार पेम्पलेट वितरण/रेडियो पर प्रसारण/जन सम्पर्क अधिकारी के माध्यम से समाचार पत्र मे जानकारी देना।

प्रचार प्रसार

1 लू तापघात हेतु पेम्पलेट एवं होर्डिंग्स का प्रिंटिंग करवाया जावेगा।

2 नगर परिषद् प्रतापगढ एवं नगर पालिका धरियावद/छोटीसादडी मे आमजन को लू से बचने हेतु अपील प्रसारित करवाई जा रही है।

3 चिकित्सा संस्थानो पर जिला चिकित्सालय मे 20 बेड्स, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 02 एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 1 बेड आरक्षित कर दिये गये हैं।

4 चिकित्सा संस्थानो के वार्डो में क्रियाशील कूलर एवं पंखो की माकूल व्यवस्था हेतु निर्देश प्रदान कर दिये गये है।

5 रोगियो को ठण्डे पीने के पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। वाटर कुलर अनिवार्यत: क्रियाशिल हो।

6 चिकित्सा संस्थानो पर अनिवार्यत ओआरएस/ड्रिप सेट/डीएनएस/सीप्रो, मेट्रो डायसाइक्लोमीन मेट्रोक्लोप्रामाईड, रेनिटिडीन, ओनडेंस्टोरोन, ओमप्राजोल, आरएल, डीएनएस, डीडीडब्ल्यु, ओआरएस, आईवीसेटोन, केनेटोड, प्रिकिंग निडिल, ग्लास स्लाईड एवं अन्य आवश्यक दवाओ की उपलब्धता सुनिश्चित हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

7 सर्वे के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

8 लू-तापघात के सम्बन्ध मे जिलास्तर पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता मे बैठक किया जाना प्रस्तावित है।

— Sd/- —

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
प्रतापगढ

लू–तापघात की तैयारी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है जिसका दूरभाष नंबर 01478–222564 है कंट्रोल रूम में प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है।

जिले में कुल 9 रेपिड रेसपोन्स टीम का गठन कर दिया गया है, ताकि मौसमी बिमारियों की फैलने की आशंका होने पर तत्काल टीम को प्रभावित क्षेत्र में रोकथाम हेतु भिजवाया जा सके।

जिले में लू तापघात के रोगियों के उपचार हेतु समस्त चिकित्सा संस्थान तथा पीएचसी/ सीएचसी, एसडीएच, जिला अस्पताल में कुल 160 बेड आरक्षित किए गए हैं।

जिले में सभी चिकित्सा संस्थानों पर कुलर्स, पंखे, एजॉस्ट फैन, ए.सी. आदि सभी उपकरण क्रियाशील कर दिए गए हैं तथा रोगियों एवं आगंतुओं हेतु शीतल पेयजल की उपलब्धता की गई है।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के अध्यक्षता में दिनांक 27/03/2025 को जिले के समस्त चिकित्सा संस्थान प्रभारी को लू–तापघात के रोगियों को उपचारित करते समय रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है साथ ही सभी चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है।

वर्तमान में जिले में सभी चिकित्सा संस्थानों पर दवाइयां की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है तथा पेयजल के नमूने लेने हेतु सभी स्टाफ को पाबन्द कर दिया गया है।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता मे जिले के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को भी लू–तापघात के लक्षण बचाव उपचार के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

डॉ जीवराज मीणा
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला प्रतापगढ़

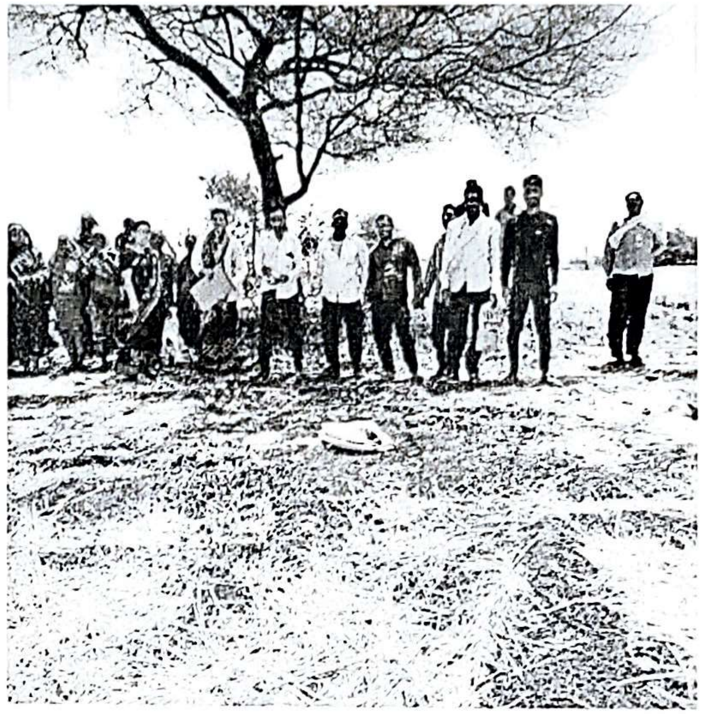

नरेगा साईट NCD स्क्रेनिंग एवं ORS व दवाईया वितरण (भुवानीया)

HEAT WAVE REPORT DISTRICT-PRATAPGARH

Daily Reporting Format

Name of District-Pratapgarh | Date-21.04.2025

Name of Institute	Heat Wave Prepration			All Equipements Functional (If Any)	OT Functional (If Any)	Ambulance/ Mamt& 104 Janani Experss Functional	Medicines Available	Tests Available
	Beds Reserved	All Ac/Water Cooler Funtional	Drinking Water Avaiable					
DISTRICT HOSPITAL	14	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SDH CHOTISADRI	10	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SDH DHARIWAD	10	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
CHC ARNOD	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
CHC CHUPNA	5	Yes	Yes	Yes	NO	NO	Yes	Yes
CHC DALOT	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
CHC PRATHVIPURA	5	Yes	Yes	Yes	NO	NO	Yes	Yes
CHC PIPALKHUNT	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
CHC MUNGHNA	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
CHC BARAWARDA	5	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
CHC THADA	5	Yes	Yes	Yes	NO	Yes	Yes	Yes
PHC Achnera	2	Yes	Yes	Yes	NO	NO	Yes	Yes
PHC Ambirama	2	Yes	Yes	Yes	NO	NO	Yes	Yes
PHC Salamgarh	2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
PHC KARUNDA	2	Yes	Yes	Yes	NO	NO	Yes	Yes
PHC BAMBORI	2	Yes	Yes	Yes	NO	Yes	Yes	Yes
PHC KESUNDA	2	Yes	Yes	Yes	NO	NO	Yes	Yes
PHC DHOLAPANI	2	Yes	Yes	Yes	NO	Yes	Yes	Yes
PHC DEVAKMATA	2	Yes	Yes	Yes	NO	NO	Yes	Yes
PHC RAMPURIYA	2	Yes	Yes	Yes	NO	Yes	Yes	Yes
PHC SUHAGPURA	2	Yes	Yes	Yes	NO	NO	Yes	Yes
PHC GHANTALI	2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
PHC KELAMELA	2	Yes	Yes	Yes	NO	NO	Yes	Yes
AMBAMATA	2	Yes	Yes	Yes	NO	NO	Yes	Yes
AVLESHWAR	2	Yes	Yes	Yes	NO	NO	Yes	Yes
KULTHANA	2	Yes	Yes	Yes	NO	NO	Yes	Yes
PILLU	1	NO	Yes	NO	NO	NO	Yes	Yes
KUNNI	2	Yes	Yes	Yes	NO	NO	Yes	Yes
Panmodi	1	NO	Yes	NO	NO	NO	Yes	Yes
SIDHPURA	2	Yes	Yes	Yes	NO	NO	Yes	Yes
BARDEEYA	2	Yes	Yes	Yes	NO	NO	Yes	Yes
DEVGARH	2	Yes	Yes	Yes	NO	NO	Yes	Yes
DHAMOTAR	2	Yes	Yes	Yes	NO	NO	Yes	Yes
GYASHPUR	2	Yes	Yes	Yes	NO	NO	Yes	Yes
DEVLAA	2	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes
KESARIYAWAD	2	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
KHUNTA	1	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
MANAGANV	2	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
MANDVI	2	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
NALWA	1	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
NAYA BORIYA	2	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
PAHADA	2	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
PARSOLA	2	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
UPHC Bagwas	2	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
UPHC Kila Road	0	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
Total	136							

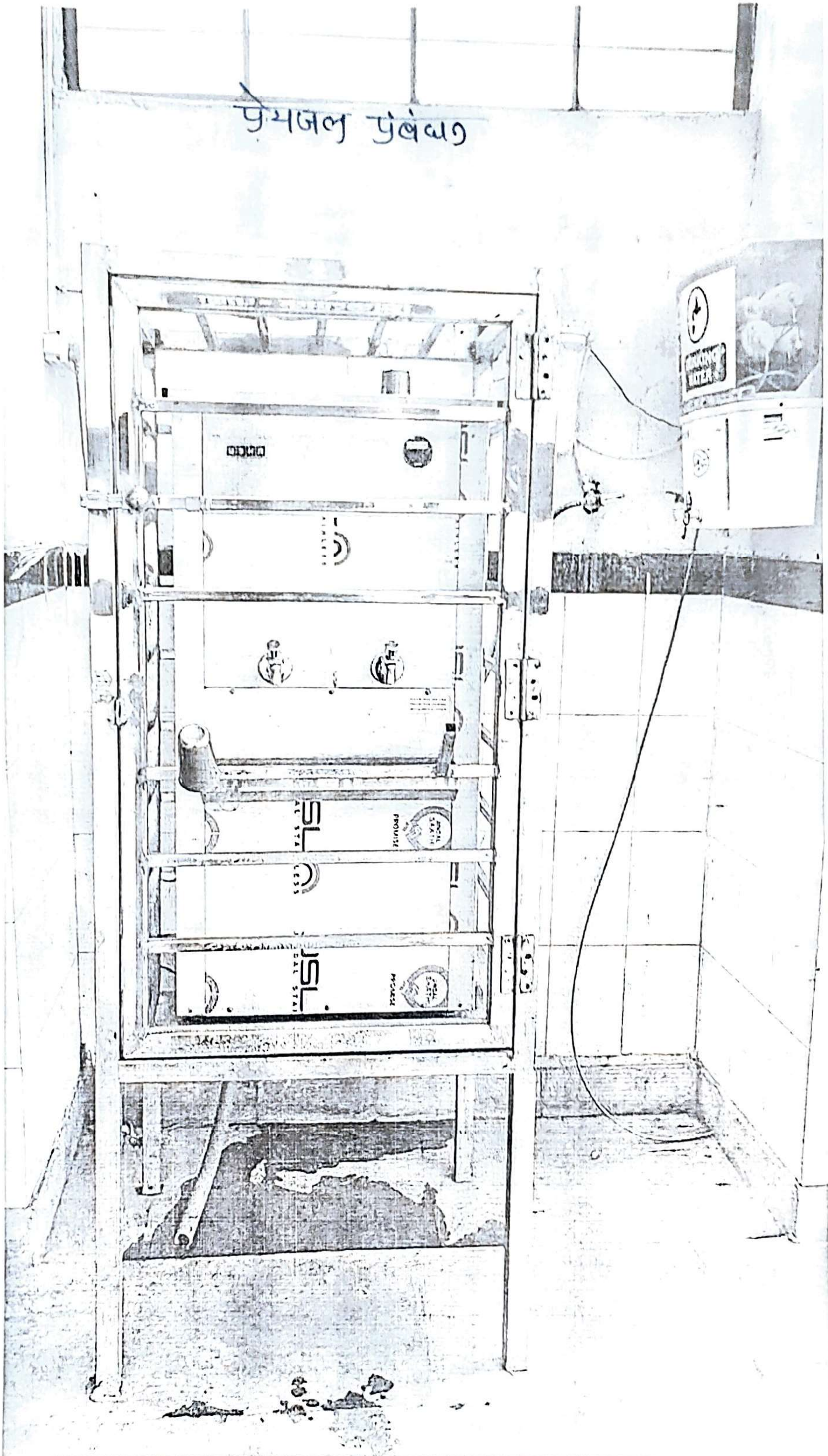

पेयजल प्रबंधन

at
all
CHC &
PHC

कै.ड. हेतु Hospital में कुलर लगवाया

Your 5 Moments
for Hand Hygiene

दवाई उपलब्ध

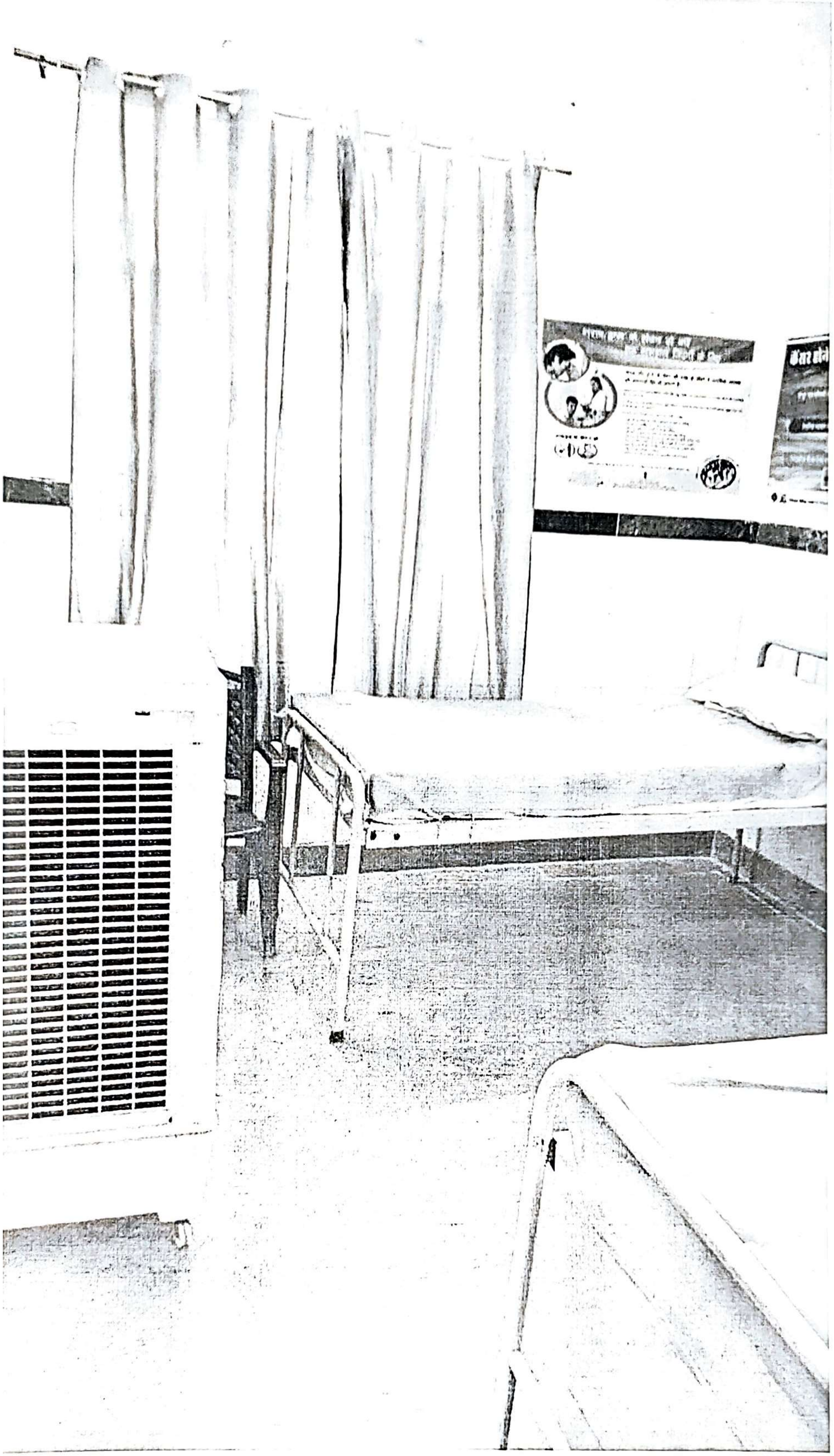

पहो

कार्यालय नगर परिषद प्रतापगढ़,जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

Fax No. 01478-222043
E-Mail-municipal.board.pratapgarh@gmail.com

क्रमांक / नपप्र / स्थापना / 2025 / 3188 दिनांक:– 21/04/2025

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय
प्रतापगढ़ राज. ।

विषय :– माननीय न्यायालय के स्प्रेरणा संज्ञान द्वारा हीटवेव की तैयारियों की अनुपालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि माननीय न्यायालय के स्प्रेरणा संज्ञान द्वारा हीटवेव की तैयारियों के संबंध में सूचना चाही गई हैं । जिस क्रम में नगर परिषद प्रतापगढ़ द्वारा निम्नानुसार तैयारियां की गई है :–

1. राज्य सरकार द्वारा भीषण गर्मी व हीटवेव को देखते हुए जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके प्रचार–प्रसार के लिए नगर परिषद के ऑटो टिप्पर के माध्यम से एनाउन्समेन्ट करवाया जा रहा है ।
2. गर्मी से बचाव व उपाय बाबत शहर के मुख्य स्थानों पर होर्डिग्स,फ्लेक्स लगाए गए है ।
3. शहर के मुख्य–मुख्य स्थानों पर छाया हेतु टेन्ट व्यवस्था तथा पानी की व्यवस्था की गई है।
4. शहर की एकमात्र गौशाला में चारे,पानी व छाया की उत्तम व्यवस्था की गई है।
5. नगर परिषद द्वारा संचालित आश्रय स्थल/रैन बसेरा में ठहरने/रूकने की व्यवस्था की गई है।
6. पक्षियों के पीने के पानी हेतु परिन्डे तथा पशुओ के लिए पानी की खेलियों हेतु कोटेशन आंमत्रित कर व्यवस्था की जाएगी।
7. अत्यधिक गर्मी के समय शहर के समस्त मार्गो में अग्निशमन वाहन के माध्यम से पानी के छिडकाव की व्यवस्था की जावेगी।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् जी की सेवामे प्रेषित है।

आयुक्त
नगर परिषद प्रतापगढ़ राज.

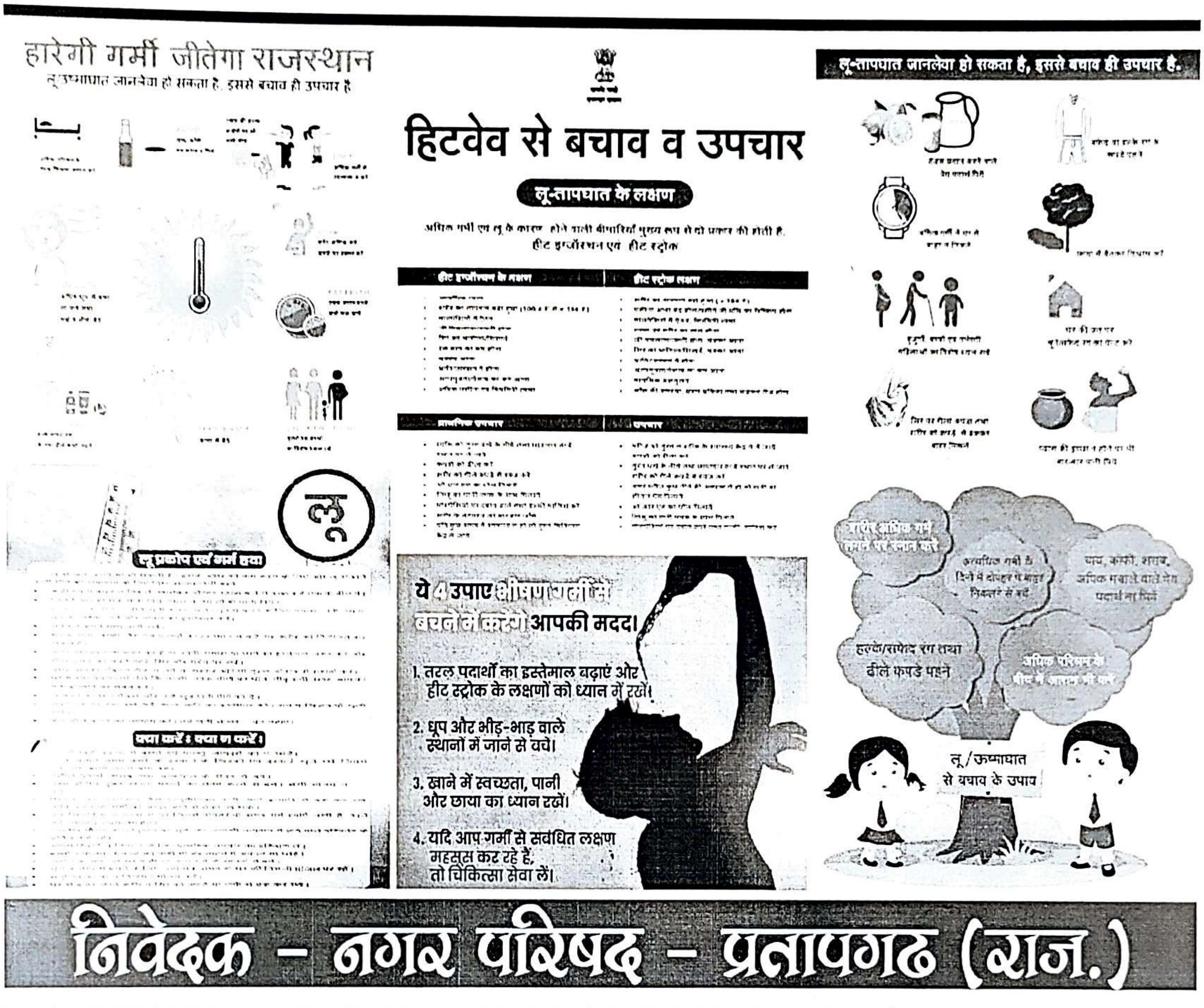

हारेगी गर्मी जीतेगा राजस्थान
लू-तापघात जानलेवा हो सकता है, इससे बचाव ही उपचार है।
हिटवेव से बचाव व उपचार
लू-तापघात के लक्षण
ये 4 उपाए भीषण गर्मी से बचने में करेंगे आपकी मदद।
1. तरल पदार्थों का इस्तेमाल बढ़ाएं और हीट स्ट्रोक के लक्षणों को ध्यान में रखें।
2. धूप और भीड़-भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें।
3. खाने में स्वच्छता, पानी और छाया का ध्यान रखें।
4. यदि आप गर्मी से संबंधित लक्षण महसूस कर रहे हैं, तो चिकित्सा सेवा लें।
हल्के/सफेद रंग तथा ढीले कपडे पहने
लू/ऊष्माघात से बचाव के उपाय
निवेदक - नगर परिषद - प्रतापगढ (राज.)

कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस), एवं जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज.)

क्र0 : जिपप / महात्मा गांधी नरेगा / कार्य स्थल सुविधाऐं / 2022-23 / 485 दि0 : 02.05.2022

(URGENT)

कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस
पंचायत समिति अरनोद, दलोट, छोटीसादड़ी, धरियावद, पीपलखूंट, सुहागपुरा, धमोतर एवं प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक कार्यस्थल पर कार्यस्थल सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में।

संदर्भ :- श्रीमान आयुक्त, ईजीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ1(2)ग्रावि / नरेगा / मार्गदर्शिका / 2019 / कार्यस्थल / जयपुर दिनांक 21 अप्रेल, 2022 इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 497 दिनांक 26.04.2019, 6134 दि0 28.02.2020, 65 दिनांक 22.04.2020 एवं 348 दिनांक 26.04.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 (अनुसूची-II के पैरा 22 से 24) में दिये गये प्रावधानानुसार योजनान्तर्गत सम्पादित प्रत्येक कार्य के कार्यस्थल पर श्रमिकों को कार्यस्थल सुविधाऐं उपलब्ध कराने का दायित्व कार्यकारी एजेन्सी का होता है। इस संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये है जिनकी पालना हेतु आपको इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा निर्देश जारी किये गये है। संदर्भित विभागीय पत्र द्वारा राज्य में भीषण गर्मी को देखते हुए कार्यस्थल पर निम्नांकित सुविधाऐं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये गये है :-

1. महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 19 के अनुसार 08 घण्टे की अवधि मय 01 घण्टे का विश्रामकाल निर्धारित है। पत्रानुसार यदि कोई श्रमिक / श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में दर्ज करवाने के उपरान्त एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के बाद कार्यस्थल छोड़ सकता है।
2. कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था एवं पंचायत में भामाशाह के माध्यम से छाछ, कैरी की छाछ, नींबू पानी एवं शरबत आदि की व्यवस्था कराने के प्रयास किये जावे।
3. कार्यस्थल पर विश्राम हेतु शैड की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।
4. कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार बॉक्स में इलेक्ट्राल / ग्लूकोस की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कर जावें।
5. कार्यस्थल पर 5 वर्ष से कम उम्र के 5 से अधिक बच्चे महिला सहित आते हो तो एक महिला मजदूर को उन बच्चो की देखभाल हेतु लगाई जावे।

Scanned with CamScanner

उक्त संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न प्रेषित कर आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि योजनान्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे प्रत्येक कार्यस्थल पर नियमानुसार उक्त कार्यस्थल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करावें। इस संबंध में आपके अधिनस्थों को भी तत्काल पावन्द करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस)
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्, प्रतापगढ़ (राज.)

क्र0 : जिपप / महात्मा गांधी नरेगा / कार्य स्थल सुविधाऐं / 2022–23 / 486–90 दि0 : 02.05.2022

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) श्रीमान आयुक्त महोदय, ईजीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयुपर।
(2) अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद् प्रतापगढ़।
(3) लाईन विभाग यथा–सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(4) सहायक अभियन्ता, ईजीएस पंचायत समिति समस्त जिला प्रतापगढ़।
(5) कार्यालय प्रति।

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस)
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्, प्रतापगढ़ (राज.)

C:\Work Site Fecility\Letter. doc

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) शासन सचिवालय, जयपुर

(Phone & Fax: 0141-2227287, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि / नरेगा / मार्गदर्शिका / 2019 / कार्यस्थल — जयपुर दिनांक: 21 APR 2022

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय : – महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर सुविधाओं के संबंध में।
प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 07.03.2019, 04.06.2019, 27.05.2020 एवं 28.05.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रो के क्रम में लेख है कि महात्मा गांधी अधिनियम 2005 (अनुसूची–।। के पैरा 23 से 24) में दिये गये प्रावधानानुसार प्रत्येक कार्यस्थल पर सुविधाए उपलब्ध कराने का दायित्व कार्यकारी एजेन्सी का है। प्रासंगिक पत्रो द्वारा योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर सुविधाए सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि राज्य में भीषण गर्मी को देखते हुए कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुविधा हेतु निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जावे :–

1. महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 क पैरा 19 के अनुसार 8 घंटे की अवधि मय 1 घंटे का विश्रामकाल निर्धारित है। इस संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि **"यदि कोई श्रमिक / श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरान्त कार्यस्थल छोड सकता है। अर्थात यदि किसी श्रमिक के द्वारा निर्धारित टास्क 5 घंटे की कार्य अवधि में पूर्ण कर लिया जाता है तो अनावश्यक रूप से कार्यस्थल पर न रोका जावे।"**
2. कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था एवं पंचायत में भामाशाह के माध्यम से छाछ, कैरी की छाछ, नीबू पानी एवं शरबत आदि की व्यवस्था कराने के प्रयास किये जावें।
3. कार्यस्थल पर विश्राम हेतु शैड की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।
4. कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार बॉक्स में इलेक्ट्राल / ग्लूकोस की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
5. कार्यस्थल पर 5 वर्ष से कम उम्र के 5 से अधिक बच्चे महिला सहित आते हो तो एक महिला मजदूर उन बच्चों की देखभाल हेतु लगाई जायेगी।

इस क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम में दिये गये प्रावधानानुसार कार्यस्थलो पर समस्त आवश्यक सुविधाए उपलब्ध कराने एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये निर्देशों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(शिवांगी स्वर्णकार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम / द्वितीय) ईजीएस।
5. अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
6. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस।
7. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
8. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली

परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

H:\MPR 2022-23\letter 2022.docx

Scanned with CamScanner

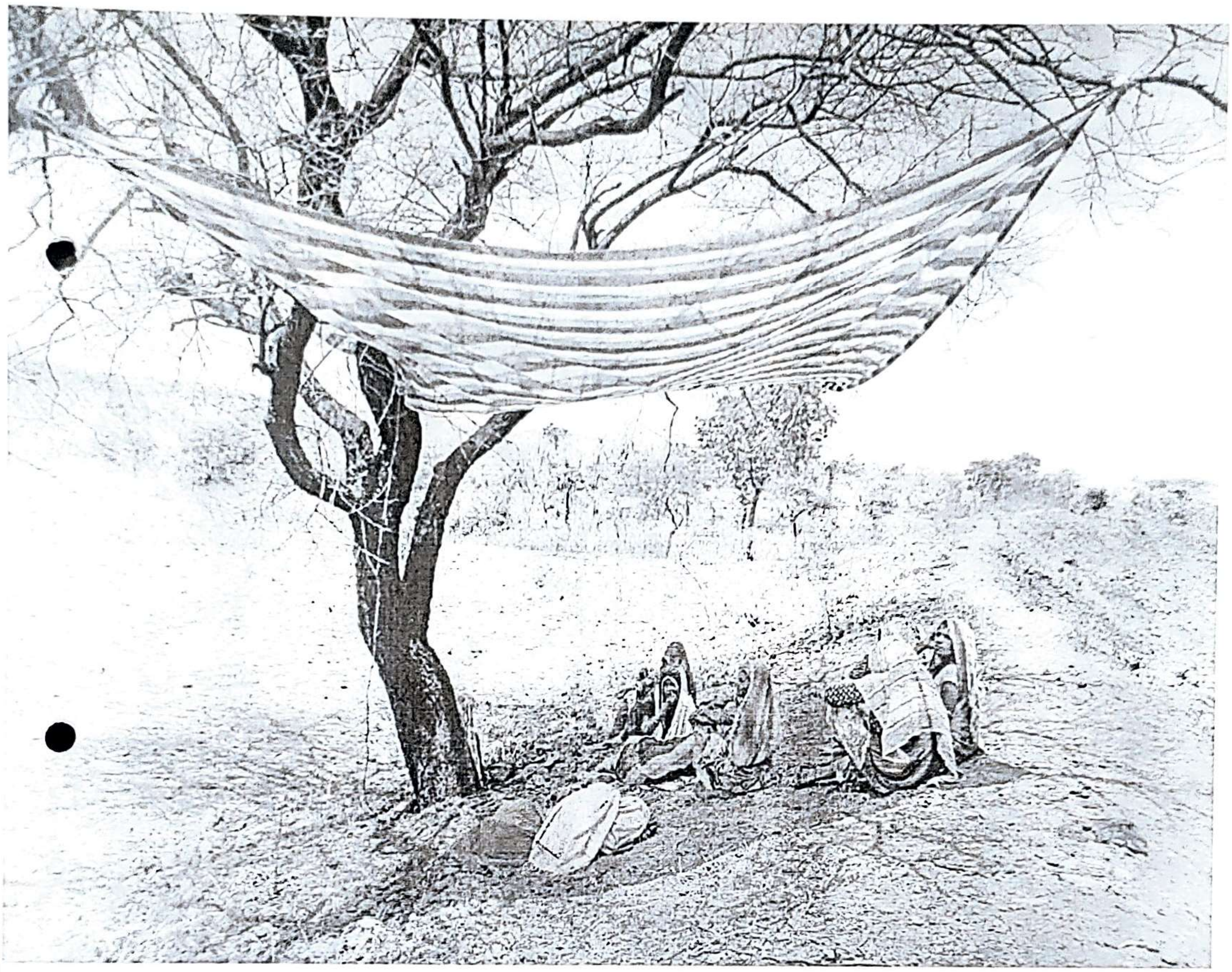

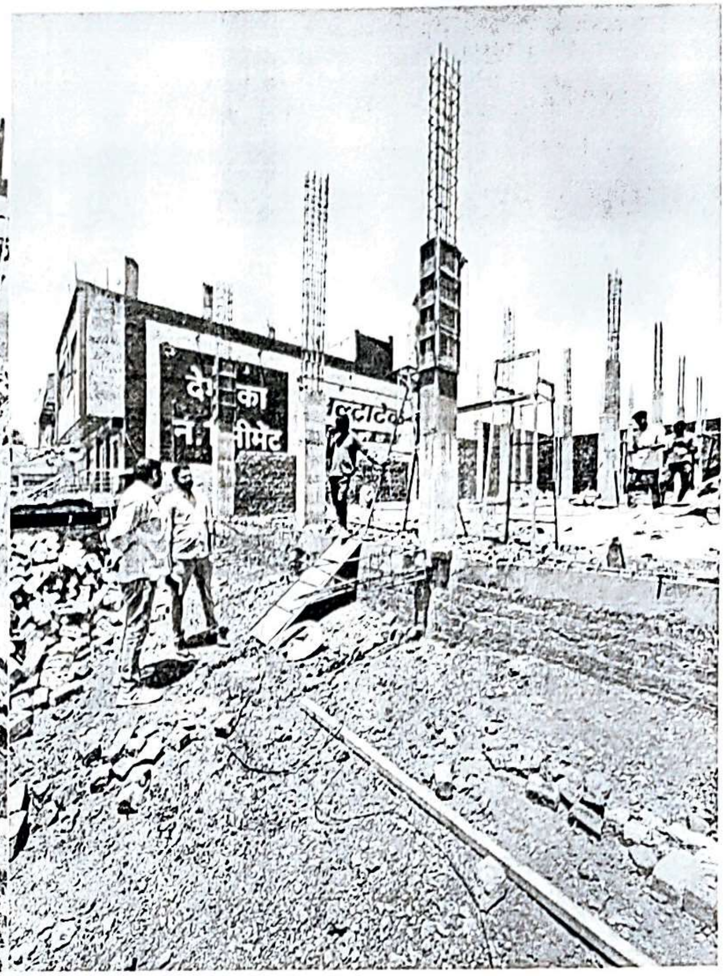

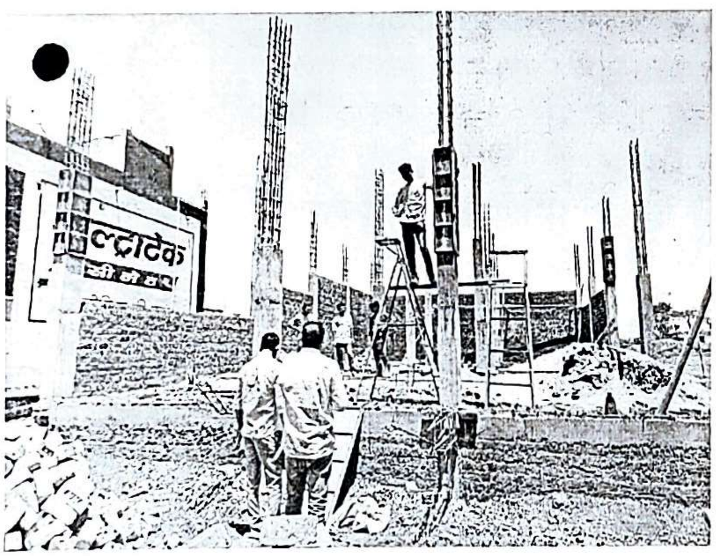

श्रम विभाग द्वारा हीट वेव को लेकर
भवन निर्माण स्थल पर जाकर
ठेकेदार को निर्देश प्रदान किये
गये एवं हीट वेव के संबंध मे
जानकारी साझा की गई।
कार्य स्थल पर ORS उपलब्ध रखने
छाया एवं पेयजल की व्यवस्था
हेतु पाबंद किया गया।

पत्रिका

सरकार की ओर से चयनित अन्य योजनाओं का लाभ देने के लिए हैं। कार्ड से लिंक मोबाइल अपने साथ में लाएं।

पशुपालकों को सावधानी बरतनें की सलाह

गर्मी व लू से आमजन व पशुधन के बचाव के लिए एडवाइजरी जारी

प्रतापगढ़ @ पत्रिका. वर्तमान में निरन्तर बढ़ते हुए तापमान से जिले में लू चलने की स्थिति उत्पन्न हो रही हैं। जिससे पशुधन विशेषकर गौवंश के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने की सम्भावना हैं। ऐसे में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. श्रीनिवास सांवले ने बताया कि अधिक तापमान के कारण पशुओं में तीव्र ज्वर की स्थिति, हांफना, मुंह से लार गिरना, बेंचेनी की स्थिति, भूख में कमी, अधिक पानी पीना, पेशाब कम अथवा बन्द हो जाना और दुग्ध उत्पादन में गिरावट जैसी स्थितियों की सम्भावना बन जाती हैं। समय रहते उचित प्रबन्ध किया जाना अत्यंत आवश्यक हैं। पशुओं को सूर्य की सीधी किरणों से दूर रखें, लू से बचाव के लिए हवादार छप्पर या छायादार वृक्ष के नीचे रखें। पशुओ को रखने की जगह पर थोडी-थोडी देर में पानी का छिडकाव करें। दिन में कम से कम चार बार स्वच्छ और ठंडा पानी पिलाएं।

मवेशी के लिए

- पशुओं को छाया में रखें और उन्हे पीने के लिए पर्याप्त, स्वच्छ और ठंडा पानी दे।
- उनसे सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच काम न लें।
- शेड की छत को पुआल से ढक दे, तापमान कम करने के लिए इसे सफेद रंग / चूने से रंग दे या गोबर से लीप दें।
- लेड में पंखे, वाटर स्प्रे और फॉमर्स का प्रयोग करे।
- अत्यधिक गर्मी के दौरान, पानी का छिडकाव करे और मवेशियों को ठंडा करने के लिए एक जल निकाय पर ले जाए।

उन्हें हरी घास, प्रोटीन वसा बाईपास पूरक, खनिज मिश्रण और नमक दें। कम गर्मी वाले घंटों के दौरान उन्हें चरने दें।

Animal Husbandry Department Pratapgarh

10/04/2025 | Partapgarh | Page : 4
Source : https://epaper.patrika.com/